न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्र.सं. 08/2014
जीसीएमएस : 2014/00002

1. रामकुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल साकिन 4 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —::वादी

बनाम

1. श्रीराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल साकिन 4 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. गुड्डीदेवी पुत्री श्री बीरबलराम पत्नी श्री बीरबलराम जाति मेघवाल साकिन 6 एलजीडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सरबती पुत्री श्री बीरबलराम पत्नी श्री साजनराम जाति मेघवाल साकिन साकिन 6 एलजीडब्ल्यू (सदासिंहवाला) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. परमेश्वरी पुत्री श्री बीरबलराम पत्नी पप्पू जाति मेघवाल साकिन 5 एमडब्ल्यू एम बी (मनावाली) तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 30.04.2024

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री सन्तकुमार अधि. वादी।
2. श्री गुरप्रतापसिंह अधि. प्रति. सं. 1।
3. श्री उमेशकान्त सोनी अधि. प्रति. सं. 2 ता 4।

—: निर्णय :— दिनांक : 14.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद में वादी तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता में भूमि चक 4 जे.के.एम तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी संवत 2067—70 की खतौनी संख्या 37/3 का मु.नं. 26 पं.नं. 171/374 के कि.नं. 1 ता 6 सालम—सालम मय खाला, 7 ता 14 सालम—सालम, 15—16 सालम—सालम नहरी मय खाला, 17 ता 20 सालम, 21/2 में .227, 22/2 में 0.227, 23/2 में .228, 24/2 में 0.228, 25/2 में 0.228 है. नहरी कुल तादादी 6.198 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि है जिसमे वादी की 3.099 है. नहरी मय खाला तथा पतिवादी सं. 1 श्री राम की 1.237 है. नहरी तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 की 1.860 है. नहरी खातेदारी है। वादी तथा प्रतिवादीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि को काफी समय से घरेलू तौर पर विभाजन कर रखी है तथा विभाजन अनुसार वादी तथा प्रतिवादीगण अपनी—अपनी भूमि पर काबिज है। घरेलू बंटवारा निम्न प्रकार से है :—
   (क) हिस्सा वाद रामकुमार:— चक 4 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 26 पं.नं. 171/374 के कि.नं. 1 ता 3 सालम—सालम मय खाला, 8 ता 12 सालम—सालम नहरी, 13 में 0.088, 19—20 सालम—सालम, 21/2 में 0.227, 22/2 में 0.227 है. [illegible] हैं। नहरी कुल तादादी 3.099 है. [illegible] दीगण सं. 1 ता 4 के संयुक्त (ख) हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ता 4:—शेष तमाम [illegible] अपने हिस्सा तथा कब्जा काश्त में है [illegible] वादी को कोई आपति नही कब्जा अनुसार विभाजन [illegible] है।
2. वादी द्वारा काफी बार प्रतिवादीगण सं. 1 हर बार [illegible] आश्वासन देता रहा है कि [illegible] समय भी राजस्व अभियान लगा तो प्रतिवादी सं. 1 कोई न कोई [illegible] कर समय गुजार करता रहा जब वादी काफी बार प्रतिवादी सं. 1 को विभाजन करवाने के लिए

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या 8/2014 अनवान
रामकुमार बनाम श्रीराम आदि
निर्णय दिनांक 14.05.2025

का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना व तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/2024/1067 दिनांक 03.12.2024 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू.–अ./2025/1915 दिनांक 23.04.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता में चक 4 जे.के.एम तहसील रायसिंहनगर की खतौनी संख्या 40 का मु.नं. 26 की कुल तादादी 6.198 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. रामकुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल की वाके चक 4 जेकेएम के पं.नं. 171/374 मु.नं. 26 के कि.नं. 1 ता 3 व 8 ता 12 की 2.024है, 13/0.139, 19/0.241, 20/0.253, 21/0.227, 22/0.215 कुल 3.099 है. कमाण्ड भूमि।
2. श्रीराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल की वाके चक 4 जेकेएम के पं.नं. 171/374 मु.नं. 26 के कि.नं. 4–7/0.506, 13/0.114, 14–17–18/0.759, 19/0.012, 22/0.012, 23/0.228, 23/0.228, 24/0.228 कुल 1.859 है. कमाण्ड भूमि।
3. सरबती पुत्री बीरबलराम जाति मेघवाल की वाके चक 4 जेकेएम के पं.नं. 171/374 मु.नं. 26 के कि.नं. 5/0.127 मय खाला, 6/0.126, 15/0.126, 16/0.127, 25/0.114, कुल 0.620 है.कमाण्ड।
4. परमेश्वरी पुत्री श्री बीरबल जाति मेघवाल की वाके चक 4 जेकेएम के पं.नं. 171/374 मु.नं. 26 के कि.नं. 5/0.126, 6/0.127, 15/0.127, 16/0.126, 25/0.114 कुल 0.620 है कमाण्ड भूमि।
5. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी व प्रतिवादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव, शपथ पत्र, जमाबंदी मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि चक 4 जे.के.एम तहसील रायसिंहनगर की खतौनी संख्या 40 का मु.नं. 26 की कुल तादादी 6.198 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. रामकुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल की वाके चक 4 जेकेएम के पं.नं. 171/374 मु.नं. 26 के कि.नं. 1 ता 3 व 8 [illegible] 2.024है, 13/0.139, 19/0.241, 20/0.253, 21/0.227, 22/0.2[illegible] कुल 3[illegible] है. कमाण्ड भूमि।
2. श्रीराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल की वा[illegible] 4 जेकेएम के पं.नं. 171/374 मु.नं. 26 के कि.नं. 4–7/0.506, 13/0.1[illegible]4, 14–17–18/0.759, 19/0.012, 22/0.012, [illegible]/0.228, [illegible]/0.228, [illegible]/0.228 कुल 1.859 है. कमाण्ड भूमि।
3. सरबती पुत्री बीरबलराम जाति मेघवाल की वाके चक 4 जेकेएम के पं.नं. 171/374 मु.नं. 26 के कि.नं. 5/0.127 मय खाला, 6/0.126, 15/0.126, 16/0.127, 25/0.114, कुल 0.620 है.कमाण्ड।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कहा तो कुछ दिन और रुकने के लिए कहा लेकिन जब प्रतिवादी सं. को जब वादी
ने अन्तिम बार दिनांक 18.01.2014 को खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो
पंचायत के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 ने खाता विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर
दिया। जबकि प्रतिवादी सं. 2 ता 4 खाता विभाजन करवाने के लिए तैयार है वस यही
तारीख बिनाय मुखासमत है तथा बिनाय दावा वादी को जब से भूमि उसके नाम दर्ज
हुई है प्राप्त है। वाद पत्र की धारा में अंकित वादी बंटवारा में आए किलाजात पर
काफी समय से काबिज है इसलिए वादी इन किलाजात को अपने आपको खातेदार
घोषित भी करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है प्रतिवादी सं. 5 भूमि का मालिक है
जिनको वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद धारा 53-88-92ए राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के
क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार में है तथा अन्दर मियाद है तथा उचित न्याय शुल्क पर
पेश है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से फैसल व
डिक्री फरमाया जावे कि चक 4 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 26 पं.नं.
171/374 के कि.नं. 1 ता 3 सालम-सालम मय खाला, 8 ता 12 सालम-सालम
नहरी, 13 में 0.088, 19-20 सालम-सालम, 21/2 में 0.227, 22/2 में 0.227 है.
नहरी कुल तादादी 3.099 है. नहरी मय खाला प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 से खाता
विभाजन कर इन किलाजात का खाता विभाजन अनुसार वादी के नाम अलग अमल
दरामद किए जाने की डिक्री पारित की जावे। खर्चा वाद दिलाया जावे। अन्य अनुतोष
जो न्यायालय उचित समझे तथा वादी के हित में हो दिलाया जावे।

3\. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब
किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से श्री गुरप्रतापसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा
पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की तरफ से श्री
उमेशकान्त सोनी अधिवक्ता ने वकालतनामा मय जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा
में अंकित किया कि जवाब दावा की धारा 3 उप धारा 3 अनुसार हम प्रतिवादीगण के
कब्जाकाश्त की भूमि का खाता विभाजन कर डिक्री किया जाता है तो हम
प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से श्री गुरप्रतापसिंह
अधिवक्ता ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि चक 4
जेकेएम का मु.नं. 26 की (प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की वादी को हिस्सा देने के बाद
शेष बची) 1.240 है.नहरी भूमि पर मिन प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी
अधिकारों की घोषणा की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में 1.240 है. भूमि मिन प्रार्थी/
प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अमलदरामद करने का आदेश फरमाया जावे एवं अन्य
अनुतोष जो न्यायालय दिलाना उचित समझे दिलाया जावे। जवाब सरकार की तरफ
से पेरोकार राज नायब तहसीलदार समेजा कोठी ने पेश कर निवेदन किया है कि
उक्त वाद पत्र में राज्य सरकार को भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है
व कोई अनुतोष राज्य सरकार के विरूद्व नहीं चाहा गया है। इसमें कोई राजकीय हित
निहित नहीं है।

4\. उक्त वाद पत्र खाता विभाजन से संबंधित है उक्त वाद पत्र में विवाद्यक बिन्दूओं
अलग-अलग निस्तारण करने की आवश्यकता नहीं है क्योकि वादी एवं प्रतिवादीगण
द्वारा फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर निवेदन किया गया है कि तहसीलदार रायसिंहनगर से
मौका व रिकार्ड अनुसार जमाबंदी में अंकित भूमि अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया
जाकर अन्तिम निर्णय किया जावे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादी
एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर पर विवादग्रस्त भूमि
संयुक्त खाता में चक 4 जे.के.एम तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2067-70
की खतौनी संख्या 37/3 का मु.नं. 26 पं.न. 171/374 के कि.नं. 1 ता 6 सालम-सालम
मय खाला, 7 ता 14 सालम-सालम, 15-16 सालम-सालम नहरी मय खाला, 17 ता 20
सालम, 21/2 में .227, 22/2 में 0.227, 23/2 में 0.227, 24/2 में 0.228, 25/2 में 0.
228 है. नहरी कुल तादादी 6.1[illegible] है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि है जिसमे वादी की
3.099 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि का कब्जा [illegible] व हक एवं हिस्सा की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या 0/2014 अनवान
रामकुमार बनाम श्रीराम आदि
निर्णय दिनांक 14.05.2025

यशोश्वरी पुत्री श्री बीरबल जाति मेघवाल की वाके चक 4 जेकेएम के पं.नं. 171/374 मु.नं. 26 के कि.नं. 5/0.126, 6/0.127, 15/0.127, 16/0.126, 20/0.114 कुल 0.620 है कमाण्ड भूमि।
तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। रहन बदस्तूर रहेगा। तहसील रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner